



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

( उ० प्र० सरकार का उपक्रम )

14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD

( U.P. Govt. Undertaking )

14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या: 185-उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:196-196.10/लेखा संवर्ग/2016

दिनांक : 12/10/2021

### कार्यालय ज्ञाप

निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में निहित विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का निगम के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2021 को सम्पन्न 196वीं बैठक में प्रयोग करते हुए एजेण्डा आइटम संख्या -196.10 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्वारा उत्पादन निगम में लेखा संवर्ग के कर्मचारियों हेतु यथा प्रचलित "U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. (Account Staff) Service Regulation, 2016" (यथा संशोधित) (अधिसूचना संख्या-63/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:168-58/लेखा संवर्ग/2016 दिनांक: 19/03/2016 एवं सपठित संख्या-192/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:188-188.10/लेखा संवर्ग/2016 दिनांक: 13/10/2020) के भाग-III 'रिक्रूटमेंट/प्रमोशन' के विनियम -5(5) तथा भाग-VIII 'नियुक्ति एवं प्रशिक्षण' के विनियम -23 की वर्तमान प्रभावी व्यवस्था (निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-01 में उल्लिखित) को स्तम्भ-02 की उल्लिखित व्यवस्था से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

उत्पादन निगम लि० में वर्तमान व्यवस्था (स्तम्भ-01)	उत्पादन निगम लि० में प्रतिस्थापित व्यवस्था (स्तम्भ-02)
<p><b>PART-III - RECRUITMENT / PROMOTION</b> <b>5(5)- DPC shall consists of:</b> Dy. G.M.(Accounts Administration) - Chairman Dy. G.M./Dy. C.A.O/S.A.O. - Member - total 3 in number</p> <p>The committee will consist of total 4 members including Chairman of which one member shall represent SC/ST category, one shall represent OBC category &amp; one shall represent General category. The S.A.O. (Admn.)/A.O. (Admn.) will coordinate /convene the committee.</p>	<p><b>PART-III - RECRUITMENT / PROMOTION</b> <b>5(5)- Departmental Promotion Committee (DPC) shall consists of total 5 members:</b> Director (P.M. &amp; A.), UPRVUNL - Chairman Director (Finance), UPRVUNL - Member</p> <p>The remaining three members shall consist of one member of SC/ST, one member of OBC and one member of General category. No member shall be below the rank of D.G.M. /S.E. or equivalent. In case of non-availability of any member, the Chairman of the DPC shall have the right to nominate another member. The meeting shall be convened by D.G.M. of accounts wing.</p>
<p><b>PART-VIII -</b> <b>APPOINTMENTS AND TRAINING</b> <b>23: APPOINTING AUTHORITY-</b> The appointing authority in respect of the following post shall be Dy. G.M. (Accounts Administration):-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Accountant</li><li>2. Assistant Accountant</li><li>3. Accounts Clerk</li></ol>	<p><b>PART-VIII -</b> <b>APPOINTMENTS AND TRAINING</b> <b>23: APPOINTING AUTHORITY-</b> The appointing authority in respect of the following posts shall be Director (P.M. &amp; A.), UPRVUNL :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Accountant</li><li>2. Assistant Accountant</li><li>3. Accounts Clerk</li></ol>

क्रमशः-2

2- निदेशक मण्डल द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में कार्यरत लेखा संवर्ग के समस्त अराजपत्रित कार्मिकों का अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध एवं प्रशासन), उनिलि के नियंत्रणाधीन इकाई द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

3- उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे एवं "U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. (Account Staff) Service Regulation, 2016" (यथा संशोधित) उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी तथा विनियमावली के शेष अन्य प्राविधान यथावत् प्रभावी रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या: 185-उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:196-196.10/लेखा संवर्ग/2016 तददिनांक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-2) अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र, सोनभद्र, झांसी, कानपुर, अलीगढ़, एटा।
5. मुख्य अभियन्ता (मा०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2021 को सम्पन्न 196वीं बैठक में प्रस्तुत आइटम संख्या -196.10 में लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में।
8. उप महाप्रबन्धक (मा०सं०-02)/उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) टी० सी०-46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. कट फाइल।

*Surpan*  
12/10/21

(तरुण कुमार जैन)  
अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म)